



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

सं. 1/1/2009-प्रशा.॥ई-ऑफिस सं. 284378

दिनांक: 29.06.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : परिषद की कार्यकारी समिति की बिंदु संख्या 8 में दी गई शक्तियों के विलोपन- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की कार्यकारी समिति की नीचे बताई गई बिंदु संख्या 8 में दी गई शक्तियों का तत्काल प्रभाव से विलोपन किया जाता है:

“पदोन्नति’ भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए, अर्हक सेवा-समय में 50% की छूट देना”

तदनुसार, परिषद की कार्यकारी समिति की शक्तियां तत्काल प्रभाव से संशोधित कर दी गई हैं।

-हस्त-

(जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि :-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. उपमहानिदेशक/ सहायक महानिदेशक (दोनों)।
3. भर्ती एवं पदोन्नति कक्ष, परिषद मुख्यालय।
4. डॉ. एम. एस. चालगा, वैज्ञानिक-ई, इसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।